राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :—712/2017

मुकुट लाल

—अपीलार्थी

बनाम

1. उप निदेशक, (माध्यमिक) शिक्षा, अजमेर संभाग, अजमेर।
2. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा, नागौर।

—प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 10.09.2024

उपस्थित —

अपीलार्थी की ओर से : श्री महेन्द्र सिंह गुर्जर, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री सुरेश अग्रवाल, प्रभारी अधिकारी

समक्ष :— अनन्त भण्डारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. इस अपील में अपीलार्थी ने यह तथ्य अंकित किये हैं कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति पंचायती राज विभाग में अध्यापक ग्रेड—।।। के पद पर पंचायत समिति एवं जिला परिषद नियम, 1959 के नियम—23 के तहत आदेश दिनांक 30.07.1986 के द्वारा हुई थी, जिस पर अपीलार्थी ने दिनांक 04.08.1986 को कार्यग्रहण किया था। इसके पश्चात पंचायती राज विभाग ने परिपत्र दिनांक 11.08.1989 जारी किया, जिसके तहत दिनांक 16.05.1989 तक नियुक्त अध्यापकों को सेवा में नियमित किया गया। परिपत्र के आधार पर जिला परिषद, नागौर की चयन समिति ने स्क्रीनिंग के पश्चात अपीलार्थी की सेवाओं को नियमित किया। इस प्रकार सरकार के परिपत्र दिनांक 06.04.1988 एवं 11.08.1989 के द्वारा अपीलार्थी को उसकी नियुक्ति दिनांक 04.08.1986 से नियमित किया गया। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा वर्ष 1987 से 1990 तक के अध्यापक ग्रेड—।।। संवर्ग की वरिष्ठता सूची जारी की, जिसमें अपीलार्थी की नियुक्ति दिनांक 04.08.1986 दर्शाई गई, जिसके पश्चात अपीलार्थी की वरिष्ठ अध्यापक के पद पर पदोन्नति भी की गई। अपीलार्थी को सरकार के आदेश दिनांक 25.01.1992 के तहत प्रथम नियुक्ति की दिनांक 04.08.1986 से सेवा की गणना करते हुए 9 एवं 18 वर्षीय सेवा पर चयनित वेतनमान का लाभ भी अपीलार्थी को प्रदान किया गया। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी को तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ प्रथम नियुक्ति की दिनांक से 27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर नहीं दिया जा रहा है, बल्कि

स्क्रीनिंग की दिनांक से सेवा की गणना करते हुए प्रदान किया जा रहा हैं, जो गलत है। उपरोक्त तथ्य अंकित करते हुए अपीलार्थी ने निम्न प्रकार से प्रार्थना की है :–

> "It is therefore most humbly prayed that this appeal may kindly be allowed and call for the record relating to the case and examining the same the impugned orders after dated 13.6.2016 (Annex-7) and order dated 29.11.2016 (Annex-8) may kindly be quashed and set aside and further be directed to the respondents to count his services from the date of initial appointment i.e. 4.8.1986 for the purpose of third selection grade/ACP and arrears be also granted with interest of 9% P.A.
>
> Any other order, which this Hon'ble Court deem just and proper may kindly be passed in favour of the appellant."

2. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति पंचायत समिति कुचामन सिटी जिला नागौर द्वारा आदेश दिनांक 04.08.1986 को अस्थायी तौर पर संत्रात तक के लिए केवल 6 माह के लिए अथवा चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध हो जो भी पहिले हो, की शर्त के साथ अध्यापक के पद पर की गई। तद्नुसार अपीलार्थी ने कार्यभार ग्रहण किया और जिला कर्मचारी वर्ग समिति (जिला परिषद) नागौर द्वारा आदेश 11.05.1988 एवं दिनांक 04.06.1988 की पालना मे विकास अधिकारी कुचामनसिटी ने आदेश दिनांक 07.09.1988 से दो वर्ष की परिवीक्षाधीन के आधार पर नियुक्ति प्रदान की गई। माननीय उच्चतम न्यायालय के सिविल अपील संख्या 3620/2009, 2848/2006 राजस्थान राज्य एवं अन्य बनाम् जगदीश नारायण चतुर्वेदी मे पारित विनिश्चय के अनुसार अपीलार्थी दिनांक 07.09.1988 नियमित नियुक्ति से ही चयनित वेतनमान सहित सेवा संबधित समस्त लाभ प्राप्ति का विधिक अधिकारी है। अपीलार्थी ने आदेश विरूद्ध उक्त अपील लम्बे बिलम्ब बाद बिना कोई वाद कारण उत्पन्न हुए और विलम्ब क्षम्य की प्रार्थना के बिना ही सारहीन एवं निरर्थक तथ्यो के आधार पर माननीय अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित विनिश्चय की पालना मे जारी आदेश दिनांक 13.06.2016 तथा 29.11.2016 विधिसम्मत होने से अपील अपीलार्थी मय कोस्ट काबिल निरस्त योग्य है।
3. दोनों पक्षों द्वारा दिये गये तर्को पर विचार किया गया।
4. इस अपील में अपीलार्थी ने अपनी प्रथम नियुक्ति का आदेश दिनांक 30.07.1986 प्रस्तुत किया है, जिससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति अस्थायी तौर पर 6 माह के लिये अथवा चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने तक

अथवा जो भी पहले हो तक की अवधि के लिये की गयी थी। अतः स्पष्ट है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति अस्थायी नियुक्ति थी। अपीलार्थी को जिला स्थापना समिति द्वारा चयन दिनांक 07.09.1988 से नियमित माना गया। माननीय उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत डी.बी. स्पेशल अपील रिट संख्या 589/2015 राजस्थान राज्य बनाम चन्द्रा राम में पारित तीन न्यायाधिपति की पीठ के निर्णय दिनांक 03.07.2017 का अवलोकन करें तो उक्त निर्णय में माननीय उच्च न्यायालय ने निम्न बिन्दूओं पर अपना निर्णय दिया है :–

"(a) Whether the respondents stand regularized from the date of appointment after scrutiny by the District Establishment Committee?

(b) Whether their order of regularization is still valid or has been annulled?

(c) Whether the appellants can assail the order of regularization without having actually annulled it till today?

(d) Whether there can be two dates for regularization of an employee, retrospective for some purposes and prospective for others?

(e) Does Goparam (supra) lay down the correct law in distinguishing Jagdish Narain Chaturvedi (supra) and Surendra Mohnot (supra)?"

उपरोक्त बिंदूओं पर माननीय उच्च न्यायालय से निम्न प्रकार से मत व्यक्त किया है:–

37. QUESTION A For the reasons and discussions aforesaid and in view of the law declared by the Supreme Court in the case of Jagdish Narain Chaturvedi and Surendra Mahnot & Ors. (supra); we are of the opinion that the respondent - employee would stand regularized from the date of regularization in service and not prior to that.

38. QUESTION B Taking into consideration the recent decision, prior to two decades the regularization period was not questioned by anybody, therefore, in a writ petition filed by the petitioner it will not be appropriate for us to allow the Government to end the regularization. However, regularization will be from the date of regularization done by the department and not prior thereto.

39. QUESTION C The contention of the counsel for the employees is required to be accepted and it cannot be annulled unless it has been annulled by appropriate authority. However, the benefits shall not be withdrawn but in future when the benefits are to be accorded for further promotion, the same will be considered on the basis of new law declared by the Supreme Court i.e. period will be considered from the date of regularization. When the future benefit of 9, 18 and/or 27 will be considered their ad-hoc service will not be considered for the purpose of benefit of 9, 18 and/or 27 years. But if benefit has already been granted for all the three scales; the same shall not be withdrawn and no recovery will be made from the employees.

40. QUESTION D In view of our answer in above matters, it is very clear that for the purpose of regularisation the date of regularisation will be from the date of regular appointment. In that view of the matter, there cannot be two dates for the purpose of

seniority and the other benefits. However, earlier services will be considered for the purpose of the same if there is a shortage in pensionary benefits.

41. QUESTION E In view of the observations made by the Supreme Court, as referred to above, the ad-hocism will not be considered for seniority. In that view of the matter, there will be only one date for regularization, date of regularizing ad-hoc period will not have any effect on seniority. In our considered opinion, the Division Bench of this Court in the case of State of Rajasthan & Ors. vs. Gopa Ram in DB Civil Special Appeal No.44/2016, decided on 18.04.2016 had no right to distinguish the judgment of the Supreme Court in the case of Jagdish Narayan Chaturvedi (Supra) and State of Rajasthan vs. Surendra Mohnot & Ors. (supra). Thus, the decision of State of Rajasthan & Ors. vs. Gopa Ram (supra) did not lay down correct law. The correct law would be the law declared by the Supreme Court in the two judgments referred hereinabove.

5. माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णय में यह माना गया है कि नियमितिकरण की दिनांक से ही कार्मिक की सेवा नियमित मानी जाएगी। अपीलार्थी की जो सेवाएं दिनांक 07.09.1988 को स्क्रींनिग के पश्चात नियमित की गई है, उसके पूर्व की सेवाएं अपीलार्थी ने तदर्थ (ad-hoc) आधार पर दी थी, जो सेवाएं अपीलार्थी चयनित वेतनमान के लाभ के लिए अपनी सेवा में नहीं जुड़वा सकता है।

6. उपरोक्त विवेचना के आधार पर हम अपीलार्थी के इस तर्क से सहमत नहीं है कि अपीलार्थी की सेवा की गणना प्रथम नियुक्ति की दिनांक से की जाकर अपीलार्थी को चयनित वेतनमान का लाभ दिलाया जाए। परिणामस्वरूप इस अपील में कोई बल नहीं होने अपील खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भण्डारी)
सदस्य (न्यायिक)